संख्या: 46/2017/2735/12-2-2017-309/2007

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2017

विषय: प्रदेश की प्रमुख फसलों के उत्पादन, क्षेत्रफल व उत्पादकता का आंकलन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या: 2554/12-2-2015-309/2007 दिनांक 30 जुलाई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत फसलों के क्षेत्रफल एवं उपज के सही-सही अनुमान का आंकलन किए जाने हेतु जनपद में कार्यरत अधिकारियों को पडताल तथा क्राप कटिंग प्रयोगों का कटाई स्तर पर स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसलों की उपज के अनुमानों का आंकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के सही-सही सम्पादन से ही उपज का सही अनुमान आंकलित किया जा सकेगा तथा प्रदेश में फसलों के उत्पादन का सही अनुमान आंकलित करना सम्भव हो सकेगा। फसलों की उपज के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है इसलिए फसलों के उपज के अनुमान का सही आंकलन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अत: फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणाम के आधार पर उत्पादकता के सही आंकलन के लिए जनपद स्तर पर जनपदीय अधिकारियों से इनका अधिक से अधिक संख्या में निरीक्षण कराना अतिआवश्यक है। साथ ही इस कार्य की प्रगति की समीक्षा भी समय-समय पर किया जाना आवश्यक होगा। इससे इस कार्य की समय से प्राप्त परिणामों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

3. उल्लेखनीय है कि प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा फसलों के आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनायें चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तभी सम्भव हो सकेगी जब फसलों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आच्छादन की सही-सही पडताल करते हुए क्षेत्रफल का आंकलन किया जाये तथा फसलों पर सही-सही फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराते हुए उपज के सही अनुमान आंकलित किए जायें।

4. अत: अनुरोध है कि कृपया जनपद में फसलों की सही-सही पडताल कराते हुए अधिक से अधिक जांच भी करायी जाये। फसलों की कटाई प्रयोगों के सही-सही सम्पादन हेतु जनपदीय अधिकारियों द्वारा अधिक संख्या में स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये जिससे कि फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का सही-सही आंकलन हो सके। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय से सही-सही पडताल तथा फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 46/2017/2735 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।